इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77] भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 मार्च 2024—फाल्गुन 21, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024

क्र. 4412-60-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२४

"मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 11 मार्च 2024 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २२ सन् १९७३ का अस्थायी रूप से संशोधन किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,—

(१) भाग एक में, अनुक्रमांक ३ तथा ४ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"३.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर, धार तथा झाबुआ
४.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, तथा भिण्ड.".

(२) भाग दो में, अनुक्रमांक ३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"४.	क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन.	खरगोन	खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, बड़वानी तथा अलीराजपुर.
५.	क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना.	गुना	गुना, अशोकनगर तथा शिवपुरी.".

भोपाल :
तारीख : ११ मार्च, सन् २०२४.

मंगुभाई छ. पटेल
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024

क्र. 4412-60-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 OF 2024

THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2024

First Published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th March, 2024

Promulgated by the Governor in the seventy-fifth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for his to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Madhya Pradesh Act No 22 of 1973 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh, Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in section 3.

Amendment of Second Schedule.

3. In the Second Schedule of the principal Act,—

(1) in Part I, for serial number 3 and 4 and entries relating therto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No. (1)	Name of university (2)	Headquarters (3)	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district) (4)
"3.	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	Indore	Indore, Dhar and Jhabua.
4.	Jiwaji Vishwavidyalaya, Gwalior	Gwalior	Gwalior, Datia, Sheopur, Morena and Bhind.";

(2) in Part II, after serial number 3 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :—

S. No. (1)	Name of university (2)	Headquarters (3)	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district) (4)
"4.	Krantisurya Tantya Bhil Vishwavidyalaya, Khargone	Khargone	Khargone, Khandwa, Burhanpur, Badwani and Alirajpur.
5.	Krantivir Tatya Tope Vishwavidyalaya, Guna	Guna	Guna, Ashoknagar and Shivpuri.".

BHOPAL:

DATED THE 11th MARCH, 2024.

MANGUBHAI C. PATEL
Governor
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.